भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2727

उत्तर देने की तारीख : 22.12.2022

महिला उद्यमियों द्वारा संचालित एमएसएमई

2727. श्री श्याम सिंह यादव :

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) उत्तर प्रदेश में महिला उद्यमियों द्वारा संचालित एमएसएमई की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ख) उत्तर प्रदेश में महिलाओं के नेतृत्व वाले एमएसएमई को विभिन्न योजनाओं के तहत संवितरित ऋण का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार को वर्तमान में महिलाओं के नेतृत्व वाले एमएसएमई द्वारा अपना व्यवसाय चलाने के लिए ऋण सुविधाएं प्राप्त करने में आने वाली समस्याओं के बारे में जानकारी है और यदि हां, तो इन महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने और महिलाओं के लिए व्यवसाय करने को आसान बनाने के लिए क्या योजनाएं उपलब्ध हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा)

(क) : दिनांक 01.07.2020 से 20.12.2022 तक उत्तर प्रदेश में उद्यम पोर्टल पर महिलाओं के स्वामित्व वाले पंजीकृत उद्यमों की संख्या 1,55,679 है।

(ख) : सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीएस) के तहत विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान दिनांक 30.11.2022 तक उत्तर प्रदेश में 40,421 महिलाओं के स्वामित्व वाले उद्यमों को 2,377.01 करोड़ रुपए की गारंटियां प्रदान की गई और प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के तहत विगत तीन वर्षों के दौरान और वर्तमान वर्ष में दिनांक 01.12.2022 तक 10,124 महिलाओं के स्वामित्व वाले उद्यमों को 411.39 करोड़ रुपएकी मार्जिन मनी सब्सिडी संवितरित की गई।

(ग) : एमएसएमई मंत्रालय औपचारिक ऋण तक महिलाओं की पहुंच को सुविधाजनक बनाने की दिशा में कई कदम उठा रहा है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ पीएमईजीपी और सीजीएस जैसी मंत्रालय की प्रमुख योजनाओं के तहत महिलाओं के लिए विशेष लाभ शामिल हैं। पीएमईजीपी के तहत, महिलाएं सब्सिडी की उच्च दर और कम व्यक्तिगत योगदान के लिए पात्रता रखती हैं और कुल मार्जिन मनी सब्सिडी का 35 से 40% महिलाओं को वितरित किया जाता है। सीजीएस के तहत, महिलाओं को गारंटी कवरेज का अतिरिक्त 10% दिया जाता है और गारंटी शुल्क में अतिरिक्त 10% छूट प्रदान की जाती है।

जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा रिपोर्ट किया गया है, बैंक क्रेडिट और क्रेडिट प्लस सेवाओं तक पहुँचने में महिलाओं के सामने आने वाली बाधाओं को दूर करने में मदद करने के लिए भारत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) द्वारा कार्यान्वयन के लिए एक कार्य योजना तैयार की थी। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सलाह दी गई है कि वे अपने समायोजित निवल बैंक क्रेडिट का 5 प्रतिशत महिलाओं को ऋण देने के लिए निर्धारित करें।

****